<u>न्यायालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)</u>
<u>–//संशोधित विविध आदेश//–</u>

क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2026 अंबिकापुर दिनांक–01/09/2026

मैं पल्लव रघुवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.), माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (छ.ग.) के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–12(1) एवं धारा–13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दाण्डिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2026 दिनांक–07.08.2026 को इस आदेश द्वारा संशोधित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. सुश्री अदिति शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी का उल्लेख कार्य विभाजन आदेश दिनांक–07.08.2026 में जहां–जहां अंकित है, उसे "न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी" पढ़ा जावे।

2. थाना गांधीनगर से उत्पन्न धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय में संस्थित किया जावेगा।

Chief Judicial Magistrate Surguja (Ambikapur)

सही/–
(पल्लव रघुवंशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–

1. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. सेंट्रल फाईलिंग सेक्शन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, अम्बिकापुर को सूचनार्थ ।
3. सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) को आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित ।
4. सचिव, अधिवक्ता संघ अंबिकापुर को सूचनार्थ।
5. अभियोजन अधिकारी, अभियोजन कार्यालय अंबिकापुर को सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक, अम्बिकापुर/सरगुजा जिले के समस्त थाना एवं चौकी को सूचनार्थ ।
7. प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, सरगुजा–अंबिकापुर को सूचनार्थ ।
8. प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर को सूचनार्थ ।

(पल्लव रघुवंशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, (छ.ग.)